फर्द अहकाम

लक्ष्मण बनाम सीताराम वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण

केस संख्या 13/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि
	22/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रा० पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने तथा वकील प्रार्थी की बहस को मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

(Y3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 13/2024	तारीख दायर 09/02/2024	तारीख फैसला 22/08/2024

1. लक्ष्मण पुत्र देवा (मृतक दौराने प्रार्थना)
   1/1. श्रवण कुमार पुत्र लक्ष्मण
   1/2. रूकमा देवी पत्नि लक्ष्मण
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिसोरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
   1/3. छोटा देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नि दामोदर जाति गुर्जर निवासी ग्राम अनोपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
   1/4. नारायणी देवी पुत्री लक्ष्मण पत्नि प्रभूदयाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम विलोरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र जोरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिसौरी तहसील जमवारामगए जिला जयपुर राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री सत्यपाल गुर्जर : – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 131,132, 136 एल0आर0 एक्ट

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्तीकरण अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.0100है0, ग्राम बिसौरी तहसील जमवारामगढ में स्थित है। व अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 288 रकबा 0.3500है0, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.3400है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित है तथा रिकार्ड अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 210 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा थे। जो कि उक्त खसरा नम्बर बाद विभाजन खसरा नम्बर 210/259 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 210/262 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जो कि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित रही है व खसरा नम्बर 210/260 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 210/261 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्थित रही है। उक्त विभाजन के अनुसार ही राजस्व नक्शा कायम किया गया और उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन हाल किये गये सेटलमेंट में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 210/259 व 210/262 के नवीन खसरा नम्बर 286

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.3400है0, खसरा नम्बर 290 रकाय 0.3400है0 बनाये गये व अप्रार्थी संख्या की भूमि खसरा नम्बर 210/260 व 210/261 के नवीन खसरा नम्बर 288 रकबा 0.3500है0 खसरा नम्बर 289 रकबा 0.3400है0 बनाये गये सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उक्त खसरा नम्बर का नवीन नक्शा बनाते समय पूर्व खसरा नम्बर व विभाजन के अनुसार बने नक्शें के विपरित जाते हुये नवीन नक्शें में गलत अंकन कर दिया व खसरा नम्बर 290 को राजस्व नक्शें में अंकित नही कर उक्त स्थान को विपरित जाते हुये नवीन नक्शें में गलत अंकन कर दिया व खसरा नम्बर 290 को राजस्व नक्शें में अंकित नही कर उक्त स्थान पर डोटेड लाईन कर खाली छोड दिया जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नवीन नक्शा बनाते समय पूर्व खसरा नम्बर के पूर्व राजस्व नक्शें के अनुसार ही नवीन नक्शा कायम किया जाना था तत्पश्चात हाल किये गये सेकरीग्रेशन/ऑनलाईन प्रकिया के तहत प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 290, 286, 287 को पूर्ण नक्शे के विपरित जाते हुये गलत तरमीम कर दिया व खसरा नम्बर 289 के रकबे को पूर्व नक्शें के विपरित जाते हुये बढा कर अंकित कर दिया जबकि दौराने सेटलमेंट पूर्व राजस्व नक्शें अनुसार ही वर्तमान राजस्व नक्शा कायम किया जाना आवश्यक था और उसी नक्शें अनुसार वर्तमान ऑनलाईन प्रकिया के तहत नक्शा कायम किया जाना था ऐसी स्थिति में उक्त सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेंट राजस्व नक्शें में की गई त्रुटि व वर्तमान ऑनलाईन प्रकिया के तहत राजस्व नक्शें में की गई त्रुटि को पूर्व राजस्व नक्शें अनुसार दुरूस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थी के खसरा नम्बर 286, 287, 290 के राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 210/259, 210/262 के राजस्व नक्शें अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान कर ऑनलाईन रिकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तंजार किया लेकिन उपस्थित नही आया। अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 2 (पैरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/एल0आर0/2024/1507 दिनांक 01.05.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम बिसोरी में खसरा नम्बर 287 रकबा 0.34है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.34है0, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.01है0, मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2075-78 में लक्ष्मण पुत्र देवा हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0देह राहिन यूनियन बैक ऑफ इण्डिया शाखा कूकस तथा खसरा नम्बर 288 रकबा 0.35है0 खसरा नम्बर 289 रकबा 0.34है0, मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2075-78 में सीताराम पुत्र जोरू हि0 पूर्ण सा0देह खातेदार राहिन स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा कूकस के नाम दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 210 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा था। जा कि उक्त खसरा नम्बर विभाजन बटा नं0 210/259 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 210/262 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वादी के नाम दर्ज रही है। व खसरा नम्बर 210/260 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 210/261 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1 के नाम रही है। उक्त विभाजन के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन हाल सेटलमेंट में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 210/259 व 210/262 के नवीन खसरा नम्बर 286 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.34है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.34है0 बनाये गये तथा अप्रार्थी सं0 1 के भूमि खसरा नम्बर 210/260 व 210/261 के नवीन खसरा नम्बर 288 रकबा 0.35है0, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.34है0 बनाये गये। परन्तु हाल सेटलमेंट नक्शें में नक्शा बनाते समय पूर्व खसरा नम्बर व विभाजन के अनुसार बने नक्शें अनुसार तरमीम नही है। खसरा नम्बर 290 को डोटेड लाईन कर खाली छोड दिया गया है। इसके पश्चात सेग्रीगेशन/आनलाईन नक्शें में खसरा नम्बर 290, 287 व 289 की तरमीम सही नही की गई। खसरा नम्बर 290 की तरमीम खसरा नम्बंर 293 मे कर दी गई है तथा 290 की जगह खसरा नम्बर 289 का रकबा बदलकर तरमीम कर दी गई है। जो सही नही है। उक्त खसरा नम्बर की तरमीम सेग्रीगेशन आनलाईन नक्शें में पुराने खसरा नम्बर 210/259 व 210/262 के नवीन खसरा नम्बर 286 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.34है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.31है0 के अनुसार नवीन नक्शें में तथा इसी प्रकार 210/260 व 210/261 के नवीन खसरा नम्बर 288, रकबा 0.35है0, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.34है0, के अनुसार नवीन नक्शें मे तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर मुताबिक रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम बिसौरी, तहसील जमवारामगढ में स्थित हाल खसरा नम्बर 286, 287, 290 के राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 210/259 व 210/262 के अनुसार सेग्रीगेशन आनलाईन नक्शें में तथा इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 288, 289, 290 के राजस्व नक्शें को पूर्व खसरा नम्बर 210/260 व 210/261 के अनुसार नवीन नक्शें मे तरमीम दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते हे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई ज़ाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मैरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़